

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून- 248001

फोन न० (0135) - 2713760, 2713551
फैक्स न० (0135) - 2713724

E-Mail- election09@gmail.com

ceo_uttaranchal@eci.gov.in

आवेदन पत्र का प्रारूप

.....(पदनाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है।

- 1-नाम तथा वर्तमान पदनाम-
 - 2-सातवें वेतमान की संस्तुति के अनुसार वेतन लेबल तथा वेतनमान-
 - 3-विभाग का नाम जिसमें वर्तमान में कार्यरत हैं-
 - 4-मौलिक नियुक्ति की तिथि एवं पदनाम-
 - 5-श्रेणी, एस0सी0 / एस0टी0 / ओबीसी-
 - 6-मूल निवास का पता-
 - 7-वर्तमान पता-
 - 8-शैक्षिक योग्यता-
 - 9-प्रशासनिक कार्यों का अनुभव (हाँ / नहीं)-समय.....वर्ष
 - 10-लेखा सम्बन्धी कार्यों का अनुभव (हाँ / नहीं)-.....समय.....वर्ष
 - 11-स्थापना सम्बन्धी कार्यों का अनुभव (हाँ / नहीं)-.....समय.....वर्ष
 - 12-सेवा अखण्डता का विवरण-
 - 13-विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र की संख्या तथा दिनांक-
 - 14-विगत पांच वर्षों की चरित्र प्रविष्टियां की प्रतियां संलग्न की जानी हैं।
- घोषणा-

मैंने ध्यान से उक्त विज्ञप्ति का अध्ययन कर लिया है और मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों द्वारा समर्थित बायोडेटा का मूलांकन पद के लिए चयन के समय चयन समित्त द्वारा भी किया जाएगा।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

नाम / पदनाम.....

कार्या० पता-.....

मो० नम्बर-.....

ई-मेल का पता-.....

कार्यालय का नाम-(सम्बन्धित विभाग).....

संख्या- / दिनांक- / 2023

विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कु०/श्री/श्रीमती.....पदनाम..
.....पता.....इस कार्यालय में
दिनांकमौलिक रूप से (पदनाम).....में नियुक्त हुए हैं, जो
वर्तमान में सातवें वेतनमान की संस्तुतियों के आधार पर वेतन लेबल-.....वेतनमान.....
.....में (पदनाम)में कार्यरत हैं। मौलिक नियुक्ति से आतिथि तक
इनकी सेवायें खण्डित नहीं रही हैं और इनके ऊपर कोई विभागीय कार्यवाही गतिमान नहीं हैं और
किसी न्यायालय में लम्बित भी नहीं है। इन्हें मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उनके द्वारा वर्णित
पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु विभागीय अनापत्ति प्रदान की जाती हैं।

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पदनाम.....
कार्यालय की मुहर.....
फोन नं०.....
ई-मेल.....

उक्त अधिकारी/कर्मचारी का आवेदन पत्र आवेदित पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु मुख्य
निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड को संस्तुति सहित अग्रसारित किया जाता है।

अग्रसारण अधिकारी के हस्ताक्षर/
कार्यालय मुहर

मो० न०-
ई-मेल आईडी-

प्रतिनियुक्ति हेतु शर्तें

एतद्वारा लोक सभा के आगामी सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय, उत्तराखण्ड, विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल सचिवालय परिसर, 04-सुभाष रोड़ देहरादून में अनुभाग अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, तथा सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर रिक्ति के सापेक्ष प्रतिनियुक्ति के आधार पर दो वर्ष के लिए कार्मिक रखे जाने हैं, जिसे बिना पूर्व सूचना के पहले भी समाप्त किया जा सकता है। विभिन्न विभाग/कार्यालयों से प्रतिनियुक्ति के इच्छुक अधिकारी/कर्मचारी नियत प्रारूप पर अपने आवेदन पत्र विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित अग्रसारण करते हुए स्पीड पोस्ट के माध्यम से अथवा व्यक्तिगत रूप से दिनांक 31 अगस्त 2023 के अपराह्न 5:00 बजे तक मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, उत्तराखण्ड में उपलब्ध करा सकते हैं। आवेदन पत्र एवं शर्तें मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड की वेबसाईट <https://ceo.uk.gov.in> पर उपलब्ध हैं।

क्र०सं०	पद का नाम/वेतनमान	पदों की संख्या	वेतनमान सातवें वेतनमान संस्तुतियों के आधार पर	रिक्त पदों का स्थान
1	अनुभाग अधिकारी वेतनमान-56100-177500 लेबल-10	01 (एक)	लेबल-10	मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर।
2	समीक्षा अधिकारी वेतनमान-47600-151100 लेबल-8	02 (दो)	लेबल-8	—ऐ—
3-	सहायक समीक्षा अधिकारी वेतनमान- 44900-142400 लेबल-7	05(पांच)	लेबल-7	—ऐ—

1-सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार वेतन लेबल-10-रू0 56100-177500 अनुभाग अधिकारी समूह 'ख' (राजपत्रित) के पद हेतु उक्तानुसार 01 पद रिक्त है इसे प्रतिनियुक्ति द्वारा राज्य सरकार के अधीन ऐसे अधिकारियों में से भरा जाना है जो-

(क) 1- जो मूल काडर या विभाग में सादृश पद धारण किये हुए है।

2- जो मूल काडर या विभाग में सातवें वेतन आयोग के संस्तुति के अनुसार वेतन लेबल-10 रू0 56100-177500 में कार्यरत हों।

3-जिन्होंने मूल काडर या विभाग में सातवें वेतन आयोग के संस्तुति के अनुसार वेतन लेबल-8 रू0 47600-151100 या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में न्यूनतम पांच वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो।

2—सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार वेतन लेबल—8— समीक्षा अधिकारी समूह "ग" (अराजपत्रित) के पद हेत उक्तानुसार 02 पद रिक्त है इसे प्रतिनियुक्ति द्वारा राज्य सरकार के अधीन ऐसे अधिकारियों में से भरा जाना है जो—

(क) 1— जो मूल काडर या विभाग में सादृश पद धारण किये हुए है।

2— जो मूल काडर या विभाग में सातवें वेतन आयोग के संस्तुति के अनुसार वेतन लेबल—8 रू0 47600—151100 में कार्यरत हों।

3—जिन्होंने मूल काडर या विभाग में सातवें वेतन आयोग के संस्तुति के अनुसार वेतन लेबल—7 रू0 44900—142400 या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में न्यूनतम पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो।

3—सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार वेतन लेबल—7—सहायक समीक्षा अधिकारी समूह "ग" (अराजपत्रित) के पद हेत उक्तानुसार 05 पद रिक्त है इसे प्रतिनियुक्ति द्वारा राज्य सरकार के अधीन ऐसे अधिकारियों में से भरा जाना है जो—

(क) 1— जो मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण किये हुए है।

2— जो मूल काडर या विभाग में सातवें वेतन आयोग के संस्तुति के अनुसार वेतन लेबल—7 रू0 44900—142400 में कार्यरत हों।

3—जिन्होंने मूल काडर या विभाग में सातवें वेतन आयोग के संस्तुति के अनुसार वेतन लेबल—6 रू0 35400—112400 या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में न्यूनतम पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो।

निम्न लिखित टिप्पणियां प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने वाले सभी पदों हेतु समान रहेंगी।

टिप्पण—1 (पोषक संवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, अर्थात जो वह अपने मूल काडर में पदोन्नति हेतु पात्रता श्रेणी में हैं वे प्रतिनियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार किसी विभाग में प्रतिनियुक्त व्यक्ति मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में प्रतिनियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण—2 प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन करने की अंतिम तिथि तारीख को 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

पद के लिए चुने गये अधिकारियों के पास मूल संवर्ग में अपना ग्रेड वेतन, मौजूदा नियमों और आदेश के अनुसार तय प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में वेतन लेने का विकल्प होगा।

निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप पर पिछले पांच वर्षों की एसीआर (फोटोस्टेट प्रतियां प्रत्येक पृष्ठ पर राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित) मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराये जाने हैं। अंतिम तिथि के बाद ACR की सत्यापित फोटोकॉपी के बिना या अन्यथा अपूर्ण और प्राप्त किए गये आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को बाद में अपना नाम वापस लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

उन विभाग के समक्ष अधिकारी द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

टिप्पणी-3- प्रतिनियुक्ति हेतु अंतिम रूप से चयन के सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्षों द्वारा आवेदनों को अग्रेषित करते समय, यह पुष्टि की जाए कि आवेदक के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/सतर्कता का मामला विचाराधीन/लंबित नहीं है। आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ होना चाहिए:-

- 1- राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित पिछले पांच वर्षों की एसीआर की फोटोकॉपी
- 3- सतर्कता/जांच का प्रमाण पत्र
- 4- सेवा अखंडता प्रमाण पत्र
- 5- पिछले दस वर्षों के दौरान लगाए गए मेजर/माइनर पेनल्टी स्टेटमेंट का प्रमाण पत्र
- 6- शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र

आवेदन पत्र इस कार्यालय की वेबसाइट <https://ceo.uk.gov.in> पर उपलब्ध है।